


13.11.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता
उनुपस्थित। मूल वाद पत्र मे दिनांक 21.10.2024
को राजीनाम हो गया। प्रार्थी का मूल वाद पत्र
राजीनामा अनुसार डिक्री हो गया है। इसलिए
मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र
मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल
वादपत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कजक्बर
एवं उपाखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

